**प्रेस नोट**

**दिनांक 12.08.2025**

## थाना राठ पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.08.2025 को मु0अ0सं0 369/25 धारा 109 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहित पुत्र नन्दराम राजपूत निवासी मुहल्ला अतरौलिया कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तंमचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ जराखर मोड़ थाना राठ से गिरफ्तार कर धारा 9/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञातव्य है दिनांक 10.08.2025 को वादिया सरोज पत्नी कमलापति निवासी मुहल्ला अतरौलिया कस्बा थाना राठ द्वारा दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया था कि मोहित पुत्र नन्दराम राजपूत मुहल्ला अतरौलिया कस्बा व थाना राठ द्वारा उसके पुत्र मनीष को जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से गोली मार कर घायल कर दिया था। वादिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 369/25 धारा 109 बीएनएस बनाम मोहित पुत्र नन्दराम राजपूत निवासी मुहल्ला अतरौलिया कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पजीकृत किया गया था।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

मोहित राजपूत पुत्र नन्दराम राजपूत(उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी मुहल्ला अतरौलिया कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

**बरामदगी का विवरण-**

01 अदद तमंचा 315 बोर , 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.व0उ0नि0 शिव सहाय सरोज

2.उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह

3.का0 अंशुल सिंह